



Government of India
Ministry of Textiles
OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER
CGO Complex, 3rd MSO Building, E & F Wings, DF BLOCK,
4th Floor, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata – 700064

No.Jute(Mktg)/139/2021

Date: 30-09-2021

NOTIFICATION


In exercise of the powers conferred under Clause 3 (3) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, hereby fix the reasonable price of jute in all forms to be in force until 30th June, 2022 or further orders whichever is earlier as mentioned below and under Clause 3 (5) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 no dealer, trader, agencies or supplier or any other person shall sell or offer to sell any person or agency or company offer to purchase or purchase any raw jute at a price exceeding the reasonable price mentioned below in this Notification.

Reasonable Price for Raw Jute for 2021-22 (In : INR per quintal)

	EX-WEST BENGAL	EX-OTHER STATES
	TDN-3	TDN-3
	WN-3	WN-3
Tossa	6500	6800
White	6500	6800

TDN3 and WN3 is equivalent to TD-5 and W-5.

The grade differentials of other grades will be same as market price being ruled as on 30-09-2021. The amount of interest/penalty etc payable if any by the purchasers on delayed payments or for any other reasons are matters solely between purchaser & supplier & will be outside /additional to the above ceiling reasonable prices.


30/09/2021
(Moloy Chandan Chakraborty)
Jute Commissioner



भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय एम,एस,ओ,भवन,

ई एवं एफ विंग, चतुर्थ तल, डी एफ ब्लॉक,

सेक्टर-1, सॉल्टलेक, कोलकाता-700064

जी,पी,ओ पोस्ट बाक्स सं.2208

संख्या जूट(मार्केटिंग)/139/2021

दिनांक 30-09-2021.

अधिसूचना

पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 की धारा 3(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त एतद् द्वारा सभी प्रकार के पटसनों का तर्कसंगत मूल्य निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ जो 30 जून, 2022 या अगले आदेश जो भी पहले हो तक लागू रहेगा तथा पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश की धारा 3 (5) के तहत कोई भी व्यापारी, व्यवसायी, एजेंसी या आपूर्तिकर्ता या कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना में उल्लिखित निम्नानुसार तर्कसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर कच्चा पटसन किसी व्यक्ति या एजेंसी या कंपनी से न क्रय करेगा और नहीं उसे विक्री करेगा।

वर्ष 2021-22 के लिए कच्चे पटसन के लिए वार्षिक मूल्य (भारतीय रूपया प्रति क्विंटल में)

	ई एक्स-पश्चिम बंगाल	ई एक्स - अन्य राज्य
	टी डी एन-3	टी डी एन-3
	डब्लू एन-3	डब्लू एन-3
तोस्सा	6500	6800
सफेद	6500	6800

टीडीएन 3 और डब्लूएन3 टीडी-5 तथा डब्लू-5 के समतुल्य है।

अन्य श्रेणी की श्रेणी विभिन्नता 30.09.2021 को निर्धारित बाजार की कीमत की जैसी ही रहेगी। किसी क्रेता द्वारा विलंब से भुगतान के कारण या किसी अन्य कारणों से देय ब्याज/जुर्माना इत्यादि, यदि हो तो ये मामले उपर्युक्त तार्किक मूल्य से परे अतिरिक्त राशि होगी।

मलय चंदन चक्रवर्ती
30/09/2021
(मलय चंदन चक्रवर्ती)
पटसन आयुक्त